

# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 8224 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024

रायपुर, दिनांक: 10/09/2024

## // सूचना //

प्रवेश वर्ष 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में संचालित स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम (BPT) में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्नानुसार दिनांक तक कर सकते हैं।

स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम (BPT) में प्रवेश हेतु NEET में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी पात्र है, तथा इस पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम अहर्ताकारी अंक (Minimum Qualifying Marks) नहीं है :-

### ऑन-लाईन आवेदन शुल्क :-

1. अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु - रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र)
2. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हेतु - रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र)
3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु - रु. 10000/- (रु. दस हजार मात्र)

(नोट : ऐसे ऑनलाईन आवेदक जिन्होंने पूर्व में प्रवेश वर्ष 2024 में MBBS / BDS में ऑनलाईन आवेदन किया है, को पुनः ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।)

ऑन-लाईन आवेदन प्रारंभ तिथि :- दिनांक 14 सितम्बर 2024, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से

ऑन-लाईन आवेदन अंतिम तिथि :- दिनांक 24 सितम्बर 2024, समय Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक

ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को निशुल्क Reset Application करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों द्वारा Reset Application का चयन करने पर पुराना Online Application फार्म शून्य (Cancel) हो जायेगा एवं आवेदक नया Online Application भर सकेंगे।




क्रमशः—2—

//2//

नोट :-

1. प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु, "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018" का अवलोकन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, काउंसिलिंग, आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) का नियमित अवलोकन करते रहें।
3. शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय का आबंटन छ0ग0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जायेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
16/09/24  
अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.